

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/43

दिनांक: २५.१.२०२५

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 25.11.2024 द्वारा श्रीमती पूनम पार्षद वार्ड संख्या 51 को सभापति नगर परिषद करौली के पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती पूनम पार्षद वार्ड संख्या 51 को सभापति नगर परिषद करौली के पद का कार्यभार पूर्व आदेशों की निरन्तरता में 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।  
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)

आयुक्त एवं शासन सचिव

दिनांक: २५.१.२०२५

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/25/44 - 54

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर/जिला कलक्टर करौली।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
8. आयुक्त नगर परिषद करौली।
9. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
10. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Document certified by KUMAR PAL  
GAUTAM <KUMARPAL2@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Kumar Pal  
Gautam  
Designation: Secretary To  
Government  
Date :24-01-2025 05:44:02